an>

Title: Need to provide advance information to train passengers in the event of cancellation of trains.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत)ः मैं रेल मंत्रालय से संबंधित कुछ बातें माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूं। वर्तमान केन्द्र सरकार के आने के बाद रेल विभाग में कई सुधार हुए हैं और काफी सुधार आने वाले दिनों में होंगे, ताकि इस देश के नागरिकें को भारतीय रेल द्वारा सर्वोत्तम सेवा दी जा सके, ऐसा मुझे विश्वास है।

रेल मंत्रालय द्वारा कई जगहों पर रेल के तंत्र में छोटी-बड़ी मरम्मत हेतु ब्लॉक या मेगा ब्लॉक का आयोजन होता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। रेल मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विज्ञापन भी दिये जाते हैं। ताकि लोगों को जानकारी मिले और वह अपनी यात्रा का आयोजन कर सकें।

दिक्कत यह होती है कि आजकल रेल में यात्रा हेतु लोग दो-दो महने पहले से अपना टिकट रिजर्व करवाते हैं। रेल मंत्रालय टिकट रिजर्व होने के बाद उन्हें एस.एम.एस. से एवं ई-मेल के द्वारा उनका ट्रेन नं., बोगी नं., सीट नं. और ट्रेन का शेडयूल की जानकारी देता है। कई बार आदमी अपने घर से दूर रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुका होता है। इस दौरान मेगाब्लॉक होने पर उसे कोई सूचना नहीं मिलती। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यक्ति मुंबई सेन्ट्रल या बांद्रा टर्मिनस से ट्रेन पकड़ने वाला है और गोरेगांव या दूर के कोई क्षेत्र में ठहरा है या जोन बदलकर सफर करना पड़ता है तब उसे मालूम नहीं होता कि मेगाब्लॉक के कारण उसकी ट्रेन रद्द की गयी है और उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसे होटल में रूकना पड़ता है या रिजर्व की जगह अन्य कोई ट्रेन में अनरिजर्व सफर करना पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि जब मंत्रालय के पास रिजर्व पैसेंजरों के नम्बर हैं, उन्हें कन्फर्मेशन का एसएमएस किया जाता है तो ट्रेन कैंसेलेशन का भी मैसेज भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मेगा ब्लॉक का निर्णय कम से कम हफ्ते पहले लिया जाता है। साथ ही साथ, अगर हो सके दूसरी ट्रेन में एक्स्ट्रा बोगी जोड़कर रद्द की गयी ट्रेन का आरक्षण उस दूसरी ट्रेन में वैध करना चाहिए या फिर निर्णय होने के बाद उन ट्रेनों का रिजर्व कोटा नोरूम करना चाहिए।